"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 162-ब] रायपुर, सोमवार, दिनांक 19 जून 2006—ज्येष्ठ 29, शक 1928

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 19th June 2006

NOTIFICATION

No. 2993/R (J) /H.C.C.G. Rules.—The High Court of Chhattisgarh Rules, 2005 will come into force from 1st July, 2006.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
R. K. BEHAR, Registrar General.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.